

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 241/2023
वाद पत्र अं० धारा 53 आर.टी.ए.



1. नरेश कुमार पुत्र जोतराम
 2. जयप्रकाश पुत्र जोतराम
 3. भूपकृष्ण पुत्र जोतराम
 4. प्रदीप कुमार पुत्र रमेश कुमार
- जाति जाट निवासी ढांबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- वादीगण

बनाम

1. रायसिंह पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढांबा
 2. निशान्त बेनिवाल पुत्र राजेश कुमार जाति जाट निवासी ढांबा
 3. पोरस बेनिवाल पुत्र राजेश कुमार जाति जाट निवासी ढांबा
 4. मंजू बेनिवाल पत्नी राजेश कुमार जाति जाट निवासी ढांबा
 5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ढांबा
 6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया
- प्रतिवादीगण

- उपस्थित :-1. श्री नवरत्न स्वामी -वकील वादीगण
2. श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध -वकील प्रति 1 ता 4
3. श्री अनिल कुमार चोयल -वकील प्रति स 5

निर्णय

दिनांक :-08/06/2023

वादीगण नरेश कुमार वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत खाता तकसीम के तहत दिनांक 01-06-2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रकिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है कि वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य स्व जोतराम के वारीस है। हमारी कृषि भूमि चक न 3 बी.जी.पी खाता स 40/32 व चक न 4 बी.जी.पी खाता संख्या 70/46 में है उक्त भूमि हमारी विरास्तन कृषि भूमि है। कि वादीगण एव प्रतिवादीगण का आपस में अरसा दराज पूर्व अच्छी मंदा अनुसार भूमि एकीकरण करने हेतु घरु तोर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरु बटवारा के वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार भूमि आई है।

वादी स 1 नरेश कुमार पुत्र जोतराम के हिस्सा व कब्जा काश्त में आई भूमि चक न 4 बी.जी.पी खाता स 70/46

प.न	मु.न	कि.न
210/132	36	11/1/0.127है0, 17ता20/1.012है0

कुल-1.139है नहरी कृषि भूमि

वादी स 2 जयप्रकाश पुत्र जोतराम के हिस्सा व कब्जा काश्त में आई भूमि चक न 3 बी.जी.पी खाता स 40/32

प.न	मु.न	कि.न
211/135	25	1 ता 3/0.759है नहरी कृषि भूमि

वादी स 3 भूप कुमार पुत्र जोतराम के हिस्सा व कब्जा काश्त में आई भूमि चक न 4 बी.जी.पी खाता स 70/46

प.न	मु.न	कि.न
210/132	36	10/0.253है, 11/2/0.126है0, 12ता14/0.759है

कुल-1.138है नहरी कृषि भूमि

वादी स 4 प्रदीप कुमार पुत्र रमेश कुमार के हिस्सा व कब्जा काश्त में आई भूमि चक न 4 बी.जी.पी खाता स 70/46

प.न	मु.न	कि.न
-----	------	------

2/26/23
प्रमाणन गांठों के संग अधिवान 2023 5
लिखित पंजी (SDO)
लिखित स्थल...गांठ

210/134

45

24/0.253 है 0, 25/1/0.228 है 0,

25/2/0.025 है 0 गे.मु.रास्ता

कुल-0.506 है नहरी कृषि भूमि

चक न 3 बी.जी.पी खाता स 40/32

प.न मु.न कि.न

211/134 24

11/2/0.126 है, 20-21/506 है

कुल-0.632 है नहरी कृषि भूमि

इस प्रकार दोनो खातो का कुल 1.138 है

कि वादीगण के घरु बंटवारा के मुताबिक अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर काफी पैसे खर्च कर काफी श्रम कर भूमि सुधार किया है। व उसे काश्त योग्य बनाया है। जिसका वादीगण खाता तकसीम करवा कर रकम राज अलग से काश्म करवाने के मुस्तहक व दावेदार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की मुताबिक घरु बंटवारा व मौका की कब्जा काश्त के अनुसार अपना अपना खाता अलग से काश्म करवाकर रकम राज अलग से कायम करवा लेवे किन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे एव अंत में पिछले सप्ताह कतई इन्कार कर दिया बस यही विनाय दावा है। कि वादीगण एव प्रतिवादीगण का आपस में सींव बट एव रकम राज का सदैव ही झगडा बना रहता है यदि कब्जा काश्त मुताबिक खाता तकसीम नही किया गया तो वादीगण को कभी न पुरा होने वाला नुकसान हौगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन में न हो सकेगी कि प्रतिवादीगण न 1 ता 4 को संयुक्त खातो में खातेदार काश्तकार व प्रतिवादीगण व प्रतिवादी स 5 को बैंक प्रतिनिधि होने के कारण व प्रतिवादी न 6 को लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकर बनाया है इनसे किसी प्रकार का डायरेक्ट अनुतोष नही चाहा गया है। कि दावा दो रूपये के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है जो काबिल समायत अदालत वाला है व अदर मियाद है। लिहाजा वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि यह कि वाद पत्र की चरण स 3 के मुताबिक खाता तकसीम कर रकम राज अलग कायम करने के आदेश फरमावे। कि वादी न 1 नरेश कुमार का चक 3 बी.जी.पी खाता स 40/32 में नाम कलमजन किया जाकर 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 में 0.296 है हिस्सा बढ़ाया जावे व वादी न 2 जयप्रकाश का 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 में नाम कलमजन किया जाकर चक न 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 में 0.578 है हिस्सा बढ़ाया जावे। व वादी न 3 भूपकुमार का 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 में नाम कलमजन किया जाकर चक न 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 में 0.295 है हिस्सा बढ़ाया जावे। वादी स 4 प्रदीप कुमार का चक 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 में 0.337 है हिस्सा कम किया जाकर चक न 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 में 0.224 है हिस्सा बढ़ाया जावे व चक न 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 में प्रतिवादी न 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर चक न 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 में प्रतिवादी न 1 का 0.295 है व प्रतिवादी स 2 ता 4 0.296 है हिस्सा बढ़ाया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लैम प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 5 का जरिये अधिवक्ता जबाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादी स 6 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किये गये। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतु अवसर दिया गया। वादी स 1 ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जं.बं. चक नं.3 बी.जी.पी खाता न 40/32 एव चक न 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 नहरी कृषि भूमि जो प्रदर्ष 1 व 2 हैं। जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि वाद पत्र की चरण स 3 के मुताबिक खाता तकसीम कर रकम राज अलग कायम करने के आदेश फरमावे। प्रतिवादी स 1 ता 4 के वकील ने कथन किया कि काउन्टर क्लैम की दफा 9 के अनुसार प्रतिवादी का खाता तकसीम कर रकमराज अलग कायम करने के आदेश फरमावे। वकील



प्रतिवादीगण व वकील वादीगण ने उक्त कथनो का विरोध नहीं किया। वादीगण के वाद पत्र व प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लैम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस में वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण वकील कथन का विरोध नहीं किया। एव वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण वकील कथन का विरोध नहीं किया। इसलिए वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी स 1 ता 4 काउन्टर क्लैम स्वीकार किये जाने योग्य है।

--: क्रियात्मक आदेश :-

अतः वाद वादीगण व काउन्टर क्लैम प्रतिवादी स 1 ता 4 उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता है कि वाद पत्र की चरण स 3 के मुताबिक खाता तकसीम कर रकम राज अलग कायम करने के आदेश फरमाये जाते है। एव वादी न 1 नरेश कुमार का चक 3 बी.जी.पी खाता स 40/32 मे नाम कलमजन किया जाकर 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 मे 0.296 है हिस्सा बढ़ाया जावे व वादी न 2 जयप्रकाश का 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 मे नाम कलमजन किया जाकर चक न 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 मे 0.578 है हिस्सा बढ़ाया जावे। व वादी न 3 भूपकुमार का 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 मे नाम कलमजन किया जाकर चक न 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 मे 0.295 है हिस्सा बढ़ाया जावे। वादी स 4 प्रदीप कुमार का चक 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 मे 0.337 है हिस्सा कम किया जाकर चक न 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 मे 0.224 है हिस्सा बढ़ाया जावे व चक न 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 मे प्रतिवादी न 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर चक न 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 मे प्रतिवादी न 1 का 0.295 है व प्रतिवादी स 2 ता 4 0.296 है हिस्सा बढ़ाया जावे। एव प्रतिवादी स 1 कि काउन्टर क्लैम की दफा 9 के अनुसार प्रतिवादी का खाता तकसीम कर रकमराज अलग कायम करने के आदेश फरमाये जाते है। एव चक न 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 मे प्रतिवादी न 1 नाम कलमजन किया जाकर चक न 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 मे प्रतिवादी न 1 का 0.295 है हिस्सा बढ़ाया जाता है। एव प्रतिवादी स 2 ता 4 कि काउन्टर क्लैम की दफा 9 के अनुसार प्रतिवादी का खाता तकसीम कर रकमराज अलग कायम करने के आदेश फरमाये जाते है। एव चक न 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 मे प्रतिवादी न 2 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर चक न 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 मे प्रतिवादी स 2 ता 4 का 0.296 है हिस्सा बढ़ाया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फ़ैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना-अपना अलग वहन करेगे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रिट दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08/06/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Rm
8/6/23
(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी (संगरिया)
विश्व स्थल, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
(अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 241/2023

वाद पत्र अंधारा :- 53 आरटीए



1. नरेश कुमार पुत्र जोतराम
2. जयप्रकाश पुत्र जोतराम
3. भूपकुमार पुत्र जोतराम
4. प्रदीप कुमार पुत्र रमेश कुमार

जाति जाट निवासी ढांबा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

-वादीगण

बनाम्

1. रायसिंह पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढांबा
2. निशान्त बेनिवाल पुत्र राजेश कुमार जाति जाट निवासी ढांबा
3. पोरस बेनिवाल पुत्र राजेश कुमार जाति जाट निवासी ढांबा
4. मंजू बेनिवाल पत्नी राजेश कुमार जाति जाट निवासी ढांबा
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ढांबा
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

-प्रतिवादीगण

दिनांक :- 8/06/2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीगण व श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील प्रतिवादी सं. 1 स 4, श्री अनिल चोयल वकील प्रतिवादी स 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि वाद पत्र की चरण स 3 के मुताबिक खाता तकसीम कर रकम राज अलग कायम करने के आदेश फरमाये जाते है। एव वादी न 1 नरेश कुमार का चक 3 बी.जी.पी खाता स 40/32 मे नाम कलमजन किया जाकर 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 मे 0.296 है हिस्सा बढ़ाया जावे व वादी न 2 जयप्रकाश का 4 बी. जी.पी खाता न 70/46 मे नाम कलमजन किया जाकर चक न 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 मे 0.578 है हिस्सा बढ़ाया जावे। व वादी न 3 भूपकुमार का 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 मे नाम कलमजन किया जाकर चक न 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 मे 0.295 है हिस्सा बढ़ाया जावे । वादी स 4 प्रदीप कुमार का चक 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 मे 0.337 है हिस्सा कम किया जाकर चक न 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 मे 0.224 है हिस्सा बढ़ाया जावे व चक न 3 बी.जी. पी खाता न 40/32 मे प्रतिवादी न 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर चक न 4 बी.जी. पी खाता न 70/46 मे प्रतिवादी न 1 का 0.295 है व प्रतिवादी स 2 ता 4 0.296 है हिस्सा बढ़ाया जावे। एव प्रतिवादी स 1 कि काउन्टर कलैम की दफा 9 के अनुसार प्रतिवादी का खाता तकसीम कर रकमराज अलग कायम करने के आदेश फरमाये जाते है। एव चक न 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 मे प्रतिवादी न 1 नाम कलमजन किया जाकर चक न 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 मे प्रतिवादी न 1 का 0.295 है हिस्सा बढ़ाया जाता है। एव प्रतिवादी स 2 ता 4 कि काउन्टर कलैम की दफा 9 के अनुसार प्रतिवादी का खाता तकसीम कर रकमराज अलग कायम करने के आदेश फरमाये जाते है। एव चक न 3 बी.जी.पी खाता न 40/32 मे प्रतिवादी न 2 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर चक न 4 बी.जी.पी खाता न 70/46 मे प्रतिवादी स 2 ता 4 का 0. 296 है हिस्सा बढ़ाया जाता है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 व काउन्टर कलैम की चरण स 9 निम्न प्रकार है।

(क) वादी स 1 नरेश कुमार पुत्र जोतराम के हिस्सा व कब्जा काश्त मे आई भूमि चक न 4 बी.जी.पी खाता स 70/46

प.न मु.न कि.न
210/132 36 11/1/0.127 है 0, 17ता20/1.012 है 0

कुल-1.139 है नहरी कृषि भूमि

(ख) वादी स 2 जयप्रकाश पुत्र जोतराम के हिस्सा व कब्जा काश्त मे आई भूमि चक न 3 बी.जी.पी खाता स 40/32

प.न मु.न कि.न

2
26/3
प्रमाण पत्रों के लिए अभियान 2623
जिल्हा प्रमाण (SDO)
जिल्हा स्थल, भद्रगढ़
Page 1 of 2



211/135 25 1 ता 3/0.759 है नहरी कृषि भूमि
(ग) वादी स 3 भूप कुमार पुत्र जोतराम के हिस्सा व कब्जा काश्त मे आई भूमि
चक न 4 बी.जी.पी खाता स 70/46

प.न मु.न कि.न
210/132 36 10/0.253 है, 11/2/0.126 है 0,
12 ता 14/0.759 है

कुल-1.138 है नहरी कृषि भूमि

(घ) वादी स 4 प्रदीप कुमार पुत्र रमेश कुमार के हिस्सा व कब्जा काश्त मे आई भूमि
चक न 4 बी.जी.पी खाता स 70/46

प.न मु.न कि.न
210/134 45 24/0.253 है 0, 25/1/0.228 है 0,
25/2/0.025 है गे.मु.रास्ता

कुल-0.506 है नहरी कृषि भूमि

चक न 3 बी.जी.पी खाता स 40/32

प.न मु.न कि.न
211/134 24 11/2/0.126 है, 20-21/506 है

कुल-0.632 है नहरी कृषि भूमि

इस प्रकार दोनो खातो का कुल 1.138 है

(ड) प्रतिवादी स 1 रायसिंह पुत्र जोतराम के हिस्सा व कब्जा काश्त मे आई भूमि
चक न 4 बी.जी.पी खाता स 70/46

प.न मु.न कि.न
210/135 46 2/2/0.126 है, 6/1/0.228 है
6/2/0.025 है गे.मु.रास्ता
7 ता 9/0.759 है

कुल-1.138 है नहरी मय गे.मु.कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी स 2 निशान्त बेनीवाल, प्रतिवादी स 3 पोरस बेनीवाल, प्रतिवादी स 4 मंजू बेनीवाल
के हिस्सा व कब्जा काश्त मे आई भूमि
चक न 4 बी.जी.पी खाता स 70/46


प.न मु.न कि.न
210/135 46 2/1/0.127 है, 3-4/0.506 है,
5/1/0.228 है, 5/2/0.025 है गे.मु.रास्ता
210/134 45 23/0.253 है

कुल-1.139 है नहरी मय गे.मु.कृषि भूमि

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिफिट दावे के अन्य
पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

निज......नल......मुद्लिक......निल......बाबत......निल...... खर्चा मुकदमें के
मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक......अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 08./06/2023 जारी किया गया।


(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं 2023
उपखण्ड अधिकारी संपरिया
मिजि स्थान अगतपुरी